बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– अ०सा०नि०/स्था०17–15/2019 149 पटना, दिनांकः– 28/07/21

कार्यालय आदेश

श्री जोसेफ कुमार टुडू, तत्कालीन चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ प्रतिनियुक्त जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल संप्रति निलंबित चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ के विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–04/मु०सां०, दिनांक–16.05.2019 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर निदेशालय के का०आ०सं०–274 सहपठित ज्ञापांक–2047 दिनांक–01.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), सुपौल को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री जोसेफ कुमार टुडू को निदेशालय के का०आ०सं०–164 सहपठित ज्ञापांक–1189 दिनांक–25.06.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया ।

2. श्री जोसेफ कुमार टुडू के विरूद्ध आरोप पत्र के द्वितीय भाग अवचार या कदाचार के लांछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(i) दिनांक 20.03.2019 करीब 10.35 बजे अपराह्न में आपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल से जबरन, बलपूर्वक छुट्टी की मॉग की । नियंत्री पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक–331–2 निर्वा०, दिनांक–12.03.2019 एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल का आदेश ज्ञापांक–02/मु० दिनांक 13.03.2019 के आलोक में बताया गया कि सभी प्रकार के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के उक्त कथन पर श्री टुडू भड़क गये एवं आक्रोशित होकर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के साथ अभद्र व्यवहार करने के साथ–साथ असंवैधानिक भाषा का प्रयोग किये तथा धक्का देकर हाथापाई एवं मारपीट की गई। इतना ही नहीं गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए आप जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल को उनके चेम्बर में धक्का देकर ले गये एवं बाहर से चेम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। अन्य व्यक्ति की मदद से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल जब किसी प्रकार से चेम्बर से बाहर आये तो देखा गया कि आप बिना अनुमति के सरकारी वाहन लेकर जा रहे हैं, और जाते–जाते आपने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल को धमकी भी दी कि इस घटना के बावत कहीं लिखा–पढ़ी करने पर वे उन्हें जान से मार देंगे।

आपके उक्त अभद्र व्यवहार एवं अनियमित कार्यकलाप से यह प्रमाणित होता है कि आप एक आपराधिक प्रवृति के अनुशासनहीन एवं उदंड सरकारी सेवक हैं, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 एवं सेवा संहिता के बिल्कुल प्रतिकूल है। सरकारी सेवक आचार संहिता के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप में जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल के पत्रांक– 194/सां० दिनांक–23.03.2019 के द्वारा

आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी एवं पत्रांक–03 मु० दिनांक–22.03.2019 के द्वारा आपके कार्यकलाप से निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को अवगत कराया गया।

अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पुछे गये स्पष्टीकरण का आपके द्वारा दिया गया जवाब मनगढ़ंत, असंतोषप्रद पाये गये जिससे यह प्रमाणित है कि आपके विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य हैं।

(ii) लापरवाही से विभागीय वाहन का चालन करने, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के आदेश के बाद भी विभागीय वाहन का लॉग बुक संधारित नहीं करने, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के पूर्व का लॉग बुक लेखापाल के पास जमा नहीं करने, बहाना बनाकर वाहन चालक का स्वयं कार्य नहीं करने एवं अन्य प्राईवेट व्यक्ति से वाहन चालक का कार्य कराने आदि आरोपों के लिए जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल के पत्रांक–703/सां दिनांक–01.12.2018 के द्वारा 24 घंटे के अंदर आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी जिसका आपके द्वारा असंतोषजनक एवं मनगढ़ंत जवाब दिया गया जो सरकारी सेवक की अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

(iii) अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं स्वेच्छाचारिता हेतु आपसे स्पष्टीकरण की माँग जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल के पत्रांक–802/सां० दिनांक–27.12.2018 द्वारा की गयी जिसका जवाब अप्राप्त है। इसी प्रकार दिनांक 23.03.2019 समय 3.30 बजे अपराह्न को जिला सांख्यिकी कार्यालय से अनुपस्थित रहने हेतु पत्रांक–199 सां/दिनांक 27.03.2019 स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी जिसका जवाब भी असंतोषप्रद रहा।

(iv) उक्त आरोपों पर उप निदेशक (सांख्यिकी), कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक–75 दिनांक–25.05.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री टुडू के अभद्र व्यवहार एवं अनियमित कार्यकलाप से स्पष्ट है कि ये अनुशासनहीन एवं उदंड सरकारी सेवक हैं।

(v) आपका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है ।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक–480–02/रा० दिनांक–08.02.2021 द्वारा समर्पित संचालन–सह–जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत है:–

(i) <u>आरोप संख्या–01</u> में वर्णित घटना के संबंध में जिला सांख्यिकी कार्यालय में पदस्थापित श्री राम सेवक महतो, लिपिक(तत्कालीन प्रभारी स्थापना सहायक) जो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के साथ सहरसा से घटना के दिन प्रिंटर लेकर वापस आये थे एवं घटना के समय मौजूद थे तथा उस समय होली के रोस्टर ड्यूटी पर जिला आपदा शाखा जो सांख्यिकी कार्यालय से सटा हुआ है, में प्रतिनियुक्त मो०सलीम, कार्यालय परिचारी, जिला योजना कार्यालय, सुपौल से पूछताछ की गयी एवं इनलोगों से लिखित बयान भी लिया गया । इनलोगों का मुख्य रूप से कहना है कि होली की छुट्टी में आरोपी कर्मी श्री टुडू दिनांक–21.03.2019 को अपने घर जाना चाहते थे एवं उसी दिन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपनी गोपनीय अभियुक्ति जिलाधिकारी, अररिया (तत्कालीन जिला पदाधिकारी, सुपौल) से लिखवाने हेतु अररिया जाना था। आरोपी द्वारा अवकाश हेतु जोर डालने के कारण जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल गुस्सा हो गये

एवं उनके द्वारा आरोपी के साथ गाली–गलौज की गयी तथा मारपीट करने का प्रयास किया गया। जिसमें इनलोगों के द्वारा बीच–बचाव किया गया । उक्त घटना की जानकारी आरोपी द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गयी, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। इस प्रकार आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

(ii) <u>आरोप संख्या–02 :–</u> आरोपी कर्मी श्री टुडू द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–703 दिनांक–01.12.2018 से पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव एवं वाहन लॉगबुक की छायाप्रति जो दिनांक–28.06.2016 से दिनांक–26.03.2019 तक संधारित है तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सत्यापित है, अपने कारणपृच्छा के साथ समर्पित किया गया है। कारणपृच्छा में स्पष्ट किया गया है कि उनके ससुर कैंसर पीडित थे एवं ससुराल पक्ष में एकमात्र पुरूष सदस्य होने के कारण उनके ईलाज के लिए आरोपी द्वारा अवकाश लिया जाता था। उक्त अवधि में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल की अनुमति से प्राईवेट चालक को भेजा जाता था जिसके संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल द्वारा कभी शिकायत नहीं किया गया। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का यह मंतव्य की बिना पूर्वानुमति के उपस्थिति में प्राईवेट चालक द्वारा वाहन का परिचालन किया जाता था, से स्पष्ट है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्राईवेट चालक के साथ सरकारी वाहन का उपयोग करते थे। यदि उनकी सहमति नहीं होती तो ये प्राईवेट चालक से वाहन का परिचालन नहीं करवाते । इस प्रकार यह आरोप प्रामाणित नहीं होता है।

(iii) <u>आरोप संख्या–03 :–</u> आरोपी कर्मी द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–802 दिनांक–27.12.2018 प्राप्त नहीं होने तथा पत्रांक–199 दिनांक–27.03.2019 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित करने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के मंतव्य "पत्रांक–199/सां० दिनांक–27.03.2019 के द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का जबाव भी असंतोषप्रद पाया गया।" के उपरांत आरोपी के विरूद्ध की गयी अग्रेत्तर कार्रवाई संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे लगाये गये आरोप की पुष्टि नहीं होती है।

(iv) <u>आरोप संख्या–04 :–</u> अधोहस्ताक्षरी स्तर से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

(v) <u>आरोप संख्या–05 :–</u> आरोपी कर्मी श्री टुडू के साथ यदि पदाधिकारी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया तो, तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी जानी थी, लेकिन यह न करते हुए आरोप प्रत्यारोप लगाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस रूप में ये आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

4. आरोप संख्या(i) एवं (v)आंशिक रूप से प्रमाणित होने के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री टुडू से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री टुडू ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

(i) आरोप संख्या–1 के संबंध में श्री टुडू का कहना है कि अपने एकमात्र बेटे के गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना पर होली की छुट्टी में घर जाने हेतु तत्कालीन जिला संख्यिकी पदाधिकारी से छुट्टी की

याचना कर रहा था, परन्तु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जो अपने निजी कार्यवश अगले दिन अररिया जाना चाहते थे उनके निवेदन पर गुस्सा होकर उन्हें गाली–गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट किये जिसे उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बीच–बचाव कर छुडाया गया। इस बात की शिकायत उनके द्वारा किसी वरीय पदाधिकारी के समक्ष नहीं किया गया कि संभव हो कि उस समय जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अपने किसी निजी परेशानी से आपा खो बैठे हों । घटना के प्रत्यक्षदर्शीगण जो सभी सरकारी कर्मचारी हैं द्वारा उन्हें समझा कर घर वापस भेज दिया गया कि रात का समय है और अभी आप सहरसा से आये हो, थके होगे जाकर आराम करो। सुबह तक साहब का गुस्सा शांत हो जायेगा, इसलिए भी वे घटना के संबंध में वरीय पदाधिकारी के समक्ष शिकायत नहीं किये।

(ii) आरोप संख्या–5 के संबंध के में श्री टुडू का कहना है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके द्वारा छुट्टी माँगे जाने पर तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा गाली–गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया जिसे उन लोगों द्वारा बीच–बचाव कर छुडाया गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन से स्वतः स्पष्ट होगा कि जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने अकारण गुस्से में आकर उनके साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट किया जिसकी शिकायत उनके द्वारा सिर्फ इसलिए किसी वरीय पदाधिकारी के समक्ष नहीं की गई क्योंकि उपस्थित कर्मियों द्वारा उन्हें समझाया गया कि इस वक्त साहब गुस्से में है सुबह शांत हो जायेंगे। तुम एक अल्पवेतनभोगी निम्नवर्गीय कर्मी हो, हो सकता है कि साहब किसी परेशानीवश ऐसा व्यवहार किये हों। जहाँतक आरोप–प्रत्यारोप की बात है तो. उनके द्वारा तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सुपौल के विरूद्ध जानबूझकर आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है, बल्कि ऐसा विभागीय जाँच के क्रम में अपना लिखत पक्ष प्रस्तुत करते हुए घटनाक्रम का उल्लेख किये जाने का फलाफल मात्र है।

(iii) उनके द्वारा जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया है या ऐसा कोई आचरण अख्तियार नहीं किया गया है जो बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विरूद्ध हो, बावजूद इसके उनके किसी आचरण/कृत्य से यदि तत्कालीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अथवा किसी भी विभागीय पदाधिकारी/कर्मीगण को ठेस पहुँचा हो अथवा उनकी भावना आहत हुई हो तो वे इसके लिए बिना शर्त्त माफी मांगते हैं।

5. श्री जोसेफ कुमार टुडू द्वारा अपने अभ्यावेदन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में कहा गया था। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री जोसेफ कुमार टुडू पर एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की दंड शास्ति करने का निर्णय लिया जाता है।

7. अतः श्री जोसेफ कुमार टुडू, तत्कालीन चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ प्रतिनियुक्त जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल संप्रति निलंबित चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ

पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (V) में किये गये प्रावधानों के तहत असंचयात्मक प्रभाव से 01 (एक) वेतनवृद्धि रोकने की दंड शास्ति की जाती है।

ह०/–

(बैद्यनाथ यादव)

निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सा०नि०/स्था०17–15/2019 872 पटना, दिनांकः– 28/07/21

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी,पूर्णियाँ/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री जोसेफ कुमार टुडू, तत्कालीन चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ प्रतिनियुक्त जिला सांख्यिकी कार्यालय, सुपौल संप्रति निलंबित चालक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

0203 स्था० 1 (का०आ०) (26 जुलाई 2021) जोसेफ कुमार टुडू.